रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 1987/ज्यैष्ठ 11, 1909
No. 270] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 1987/JYAISTHA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 जून, 1987

अधिसूचना

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (उपभोक्ता संगम मान्यता) नियम, 1987

सा.का.नि. 354(अ).—केन्द्रीय सरकार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 2 के खंड (ढ) के साथ पठित धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (उपभोक्ता संगम मान्यता) नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) किसी उपभोक्ता संगम के संबंध में "प्रधान अधिकारी" से ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है जो लिखित रूप में विशिष्ट रूप से प्राधिकृत है या किसी ऐसे संकल्प के माध्यम द्वारा जिसे इस निमित्त ऐसे उपभोक्ता संगम द्वारा अंगीकृत किया गया है ;

3. उपभोक्ता संगम की मान्यता के लिए आवेदन पत्र

(1) ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता संगम में, जो रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता संगम के रूप में मान्यता, दिए जाने के लिए वांछा करता है,

(क) उसके संदाय के रूप में दस से अन्यून उपभोक्ता नहीं होंगे, और

(ख) वह केन्द्रीय सरकार को कंपनी कार्य विभाग में प्ररूप I में ऐसी मान्यता के लिए तीन प्रतियों में आवेदन करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ एक चालान या बैंक ड्राफ्ट होगा जिसमें पांच सौ रुपए की फीस के संदाय का साक्ष्य संलग्न होगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर, कंपनी कार्य विभाग उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख अंकित करेगा और आवेदक को ऐसी तुरंत तारीख संसूचित करेगा ।

(4) कंपनी कार्य विभाग, मान्यता प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व, आवेदन से, उस अवधि के भीतर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी अतिरिक्त जानकारी जैसी वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।

(5) उपनियम (4) के अधीन जारी किया जाने वाला मान्यता प्रमाणपत्र प्ररूप II में होगा ।

(6) जहां इन नियमों के अधीन जारी किया गया कोई मान्यता प्रमाणपत्र खो जाता है, नष्ट या विकृत हो जाता है, वहां इस संबंध में किए गए आवेदन पर और पचास रुपए फीस के संदाय के किए जाने पर, एक दूसरी प्रति जारी की जा सकेगी ।

4. फीस का संदाय—इन नियमों के अधीन संदेय फीस का संदाय एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 10 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

5. उपभोक्ता संगम को मान्यता प्रमाणपत्र के मंजूर किए जाने से इन्कार करना—

जहां उपभोक्ताओं के संगम की मान्यता का कोई प्रमाणपत्र देने से इंकार किया गया है, वहां आवेदक को, ऐसे इंकार किए जाने के कारणों की जानकारी दी जाएगी।

6. कतिपय प्राधिकारियों को मान्यता के प्रमाणपत्र की प्रतियों का भेजा जानाः—

प्रत्येक ऐसा उपभोक्ता संगम, जिसे "रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता संगम" के रूप में मान्यता दी गई है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 9 के खंड (ख) के अधीन स्थापित संबंधित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को उसकी जारी किए गए मान्यता प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा ।

आवेदन का सत्यापन—इन नियमों के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन प्रधान अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किया जाएगा ।

अनुसूची

प्ररूप I

[नियम 3 का उपनियम (1) देखिए]

"रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता संगम" के रूप में उपभोक्ताओं के संगम की मान्यता के लिए केन्द्रीय सरकार को कंपनी कार्य विभाग में दिए जाने वाले आवेदन का प्ररूप (तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

(1) उपभोक्ता संगम का नाम :

(2) पता—

(क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :

(ख) पत्राचार के लिए—

(ग) शाखाएं—

(3) यदि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो, रजिस्ट्रीकरण की तारीख

(4) यदि किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो वह अधिनियम जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है और रजिस्ट्रीकरण की तारीख—

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)

(5) संगम के कुल सदस्यों की संख्या (आवेदन की तारीख को) :

(6) संगम के उद्देश्य (संगम के नियमों और विनियमों की प्रति के साथ संगम के ज्ञापन की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए) ।

(7) निदेशक बोर्ड/शासकीय निकाय/परिषद/समिति (चाहे वे जिस नाम से ज्ञात हों) के व्यष्टियों के नाम, पते और व्यवसाय, जिनको संगम के क्रियाकलापों के प्रबंध को न्यस्त किया गया है ।

(8) कर्मचारियों की सं. :

(क) पूर्णकालिक:—

(ख) अंशकालिक :—

(9) गत तीन वर्षों के दौरान, संगम द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्य के वर्षवार ब्यौरे ।

(10) अद्यतन तीन वर्षों की संगम की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट और लेखों की प्रतियां ।

(11) उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के प्रयोजन के लिए संगम के स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा चलाए जा रहे या संचालन किए जा रहे प्रयोगशाला/संगठन के यदि कोई हों, ब्यौरे ।

स्थान . . . .

तारीख . . . . प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

सत्यापन

मैं, सत्यनिष्ठा से कथन करता हूं कि ऊपर मद 1 से 11 में जो भी कथन किया गया है, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

स्थान . . . .

तारीख . . . . प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररूप II

[उप नियम 3 का उपनियम (5) देखिए]

(मान्यता प्रमाणपत्र)

भारत सरकार

कंपनी कार्य विभाग

यह प्रमाणित किया जाता है कि, उपभोक्ता संगम को, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं इस तारीख को, एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 2 के खंड (ढ) के निबंधनों के अनुसार "रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता संगम" के रूप में मान्यता दी जाती है:—

विशिष्टियां

(1) उपभोक्ता संगम का नाम :

(2) पता

(3) शासी बोर्ड/निकाय/परिषद के उन व्यक्तियों के नाम और पते जिन्हें संगम का प्रबन्ध न्यस्त किया गया है :

(4) सदस्यों की सं.

(5) रजिस्ट्रीकरण सं. कंपनी कार्य विभाग की मुद्रा

हस्ताक्षर

तारीख

[फाइल. सं. 30/5/85—सील V]

वी. के. मजोत्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 1st June, 1987

NOTIFICATION

MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (RECOGNITION OF CONSUMERS' ASSOCIATION) RULES, 1987.

G.S.R. 534(E).—In exercise of the powers conferred by section 67 read with clause(n) of section 2 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Recognition of Consumers' Association) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions — In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969);

(b) "Form" means a Form specified in the Schedule to these rules ;

(c) "principal officer" in relation to a consumer association means any individual who is specifically authorised in writing or by means of a resolution adopted by such consumer association in that behalf.

3. Application for recognition of consumers' association.—(1) Every consumers' association which is desirous of being recognised as a registered consumers' association,

(a) shall have not less than ten consumers' as its members ; and

(b) shall make an application for such recognition in triplicate to the Central Government in the Department of Company Affairs in Form I.

(2) Every application made under sub-rule (1), shall be accompanied by a challan or a bank draft evidencing the payment of a fee of rupees five hundred.

(3) On receipt of an application made under sub-rule (1), the Department of Company Affairs shall note thereon the date of its receipt and shall forthwith communicate such date to the applicant.

(4) The Department of Company Affairs may, before issuing a certificate of recognition, require the applicant to furnish, within such period as may be specified by it, such additional information as it may consider necessary.

(5) The certificate of recognition to be issued under sub-rule (4) shall be in Form II.

(6) Where a certificate of recognition issued under these rules is lost, destroyed or multilated, a duplicate may be issued on an application made in this regard and on payment of a fee of rupees fifty.

4. Payment of Fees — Fees payable under these rules shall be paid in accordance with the procedure laid down in rule 10 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970.

5. Refusal to grant of certificate of recognition to consumers' association — Where a certificate of recognition of consumers' association has been refused, the applicant shall be informed of the reasons for such refusal.

6. Copies of certificate of recogntion to be sent to certain authorities — Every consumers' association which has been recognised as a "registered consumers' association" shall furnish a copy of the certificate of recognition issued to it, to the concerned Consumer Disputes Redressal Commission established under clause (b) of section 9 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986).

Verification of application — Every application made under these rules shall be duly verified by the principal officer —

SCHEDULE

FORM I

[See Sub-rule (1) of rule 3]

Form of application to be given to the Central Government in the Department of Company Affairs for recognition of consumers' association as "registered consumers' association". (To be submitted in Triplicate)

(1) Name of the consumers' association :—

(2) Address :—

(a) Registered Office :—

(b) For correspondence :—

(c) Branches :—

(3) If registered under section 25 of Companies Act, 1956, the date of registration :—

(4) If registered under any other law, the Act under which registered and date of registration :— (Certified copy of the certificate of registration to be enclosed).

(5) Total number of members of the association (as on the date of application) :—

(6) Objects of the association (Certified copy of Memorandum of Association to be enclosed alongwith copy of the rules and regulations of the association).

(7) Names, addresses and occupations of persons on the Board of directors Governing body|council| committee (by whatever name called), to whom the management of the affairs of the association is entrusted.

(8) Number of Employees :

(a) Whole-time :—

(b) Part-time :—

(9) Year-wise details of the work done by the association during the last three years in the field of protection of consumers' interest.

(10) Copies of published annual reports and accounts of the association for the latest three years.

(11) Details of laboratory|organisation, if any, owned, run or operated by the association for purposes of protection of consumers' interest.

Place.....

Date.....

Signature and designation
of Principal Officer

VERIFICATION

I, ... do hereby solemnly state that what is stated in items 1 to 11 above is true to the best of my knowledge and belief.

Place.....

Date.....

Signature and designation
of Principal Officer

FORM-II

[See Sub-rule (5) of rule 3]

(Certificate of recognition)

Government of India

Department of Company Affairs

Certified that the consumers' association whose particulars are given below has, this day, been recognised as "registered consumers' association" in terms of clause (n) of section 2 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) :

Particulars

(1) Name of the Consumers' Association :

(2) Address :

(3) Name of persons on the governing Board|body| council to whom management of the Association is entrusted :

(4) Numbers of members :

(5) Registration number :

Seal of the Department of
Company Affairs.

Signature

Date

[File No. 38|5|86-CL. V]

V. K. MAJOTRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987